कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

E-mail cf-chaibasa@gov.in/ P.O. Chaibasa, West Singhbhum

पत्रांकः :– 2801 दिनांकः:– 17-12-18

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा ।

विषय :– मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स लिमिटेड, बरायबुरू– टाटीबा लौह एवं मैगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 हे0 मे से 14.50 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बार्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक– 1272 दिनांक 12.12.2018 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बार्ड, झारखण्ड, राँची का प्रासंगिक पत्र की प्रति अत्रसह संलग्न (Online proposal) भेजते हुए सूचित करना है कि विषयक प्रस्ताव से संबंधित उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सके ।

अनु0– यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

17/12

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

Destop ,Sudir)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1272 दिनांकः– 12.12.18

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,सिंहभूम, जमशेदपुर।
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषय :– **मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स लिमिटेड, बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैंगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 हे0 में से 14.50 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– 1) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक 3173 दिनांक 06.10.2018
2) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक– 2206 दिनांक–18.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र (1) द्वारा अनुमोदित एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के प्रसंगिक पत्र (2) द्वारा मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स के बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैंगनीज खनन पट्टा क्षेत्र 258.9896 हे0 में से 14.50 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (Online एवं Hard Copy) पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों के प्रारंभिक समीक्षा में निम्न अभिलेखों में स्पष्टता/सुधार की आवश्यकता है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा गया Form - A (Part - I) में केवल 14.2002 हे0 क्षेत्र का KML Upload किया गया है, जबकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 14.50 हे0 है।
2. Form - A (Part - II) में CA area के uploaded KML file में area marked नहीं है।
3. वन संरक्षक के अग्रसारण पत्र के पारा–11 के तालिका से स्पष्ट है कि पूर्व आपयोजित 23.233 हे0 वनभूमि के अतिरिक्त 2.2476 हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि पर वर्त्तमान में खनन् कार्य किया जा रहा है।

विदित हो कि 2.2476 हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि न तो पूर्व अपयोजन भूमि में सम्मिलित है न ही प्रस्तावित अपयोजन में सम्मिलित है। इसके संबंध में Voilation भी प्रतिवेदित नहीं है।

अतः online proposal वापस भेजते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक सुधार हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी/प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित कर प्रस्ताव में आवश्यक संशोधनोपरांत इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

12.12.2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

12.12.18